

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 114/2014/75 एलआर एक्ट

1. बालूराम पुत्र प्रभुराम जाति बैरागी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. दीपसिंह पुत्र राजासिंह जाति जटसिख निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बूटासिंह राजासिंह जाति जटसिख निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

---अपीलान्टस

—: बनाम :-

1. ओमप्रकाश पुत्र राधाकृष्ण जाति बैरागी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

---रेस्पोडेंटस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 27.04.2012 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर

सूरतगढ़ प्र०सं० 144/2011 अनवानी ओमप्रकाश बनाम बालूराम आदि

उपस्थित :-

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री कुलदीप सिंह जम्मू अधिवक्ता रेस्पो० सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं. 2

निर्णय

दिनांक -06.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो० सं. 1 ने जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलैक्टर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र क्रमांक एफ 12(11) () (राजस्व)/11/18.8.2011 को अधीनस्थ न्यायालय को भेजा। प्रार्थना पत्र मे यह बिन्दू किया कि अपीलांट दिनांक 13.01.65 से 31.03.05 तक गेज रीडर के पद पर था। इसके बावजूद दिनांक 03.09.1975 को चक 25 आरजेडी मे कुल 44 बीघा भूमि आवंटन करवा ली एवं यह तथ्य भी दर्ज किया कि खातेदारी भी अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है एवं 12 बीघा का बैचान भी कर दिया। रेस्पो० ने जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 13.01.1965 से अपीलांट पूर्णतया सेवा मे नहीं था बल्कि सेवा मे से कभी हटा दिया जाता था एवं कभी रख लिया जाता था। गैंग रीडर का पद एक अस्थाई एवं मजदूरी के रूप मे था एवं यह तथ्य भी दर्ज किया कि प्रार्थना पत्र व आवंटन के समय सेवा मे नहीं था। तहसीलदार की रिपोर्ट से ही आवंटन सही किया गया। उपरोक्त तथ्यो का सही अवलोकन नहीं कर आवंटन निरस्त कर विवादित भूमि रिज्यूम करने के आदेश पारित किये गये, व्यथित होकर अपीलांट यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 11.02.2014 के जरिये उक्त अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ न्यायालय में अन्तरित की गई। दिनांक 18.11.15 को पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली श्री सन्तकुमार बुडानिया तत्कालीन पीठासीन अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी गंगानगर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपने ही निर्णय के विरुद्ध सुनवाई नहीं कर सकने के कारण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 11.02.14 से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई थी चूंकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर को वापस स्थानान्तरित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल से अनुमति बाबत विचाराधीन थी। दिनांक 22.02.2018 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उक्त अनवानी बालूराम बनाम ओमप्रकाश आदि में निर्णय पारित करते हुये निर्देशित किया कि उक्त अनवानी पत्रावली में उभय पक्ष को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर आगामी तीन माह के अन्दर निर्णित करने का प्रयास करें। रेस्पों को तलब किया गया। रेस्पों सं. 2 व 3 की ओर से जरिये अधिवक्ता पक्षान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार कर रेस्पों सं. 2 व 3 बतौर अपीलांट सं. 2 व 3 संयोजित किया गया। रेस्पों सं. 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह जम्मू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 11 में केवल यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति झूठे तथ्य दर्ज करता है, उस हालात में कार्यवाही अपेक्षित होती है। उसके पश्चात धारा 14 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाता है। उसमें 500/-रु० पैनैल्टी का प्रावधान है। धारा 14 की पालना में कोई नोटिस नहीं दिया गया। इसलिये निर्णय स्वतः ही काबिले खारिज है। अपीलांट बरवक्त आवंटन किसी भी प्रकार से स्थाई सेवा में नहीं था बल्कि अक्सर कभी कभी अस्थायी रूप से कार्य कर लेता था। अपीलांट द्वारा किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया है। इसलिये आदेश जैर अपील काबिले खारिज है। मामला हाजा किसी भी प्रकार से 11 व 14 राजस्थान उपनिवेश अधिनियम में नहीं आता है। आवंटन को काफी वर्ष हो चुके हैं, इसलिये भी आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का स्थाई आवंटन आदेश दिनांक 28.09.1980 को राजस्थान उपनिवेश अधिनियम की धारा 11/14 के अन्तर्गत अपीलांट को आवंटन के समय राजकीय सेवा में होना मानते हुये निरस्त किया है। राजस्थान उपनिवेश (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन नियम 1975 के नियम) नियम 2 (xiii)(ii)(a) के अनुसार सन् 1982 से पूर्व सरकारी कर्मचारी होना अपात्रता नहीं थी। फिर भी अपीलांट 1980 में कार्य प्रभारित ही था। सन् 1982 में हुआ यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता

है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन को निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन डीएनजे 1999(2) पेज 509, आरआरटी 2018(1) पेज 299 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पों सं. 1 ने जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलैक्टर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र क्रमांक एफ 12(11) () (राजस्व)/11/18.8.2011 को अधीनस्थ न्यायालय को भेजा। प्रार्थना पत्र में यह बिन्दू किया कि अपीलांट दिनांक 13.01.65 से 31.03.05 तक गेज रीडर के पद पर था। इसके बावजूद दिनांक 03.09.1975 को चक 25 आरजेडी में कुल 44 बीघा भूमि आवंटन करवा ली एवं यह तथ्य भी दर्ज किया कि खातेदारी भी अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है एवं 12 बीघा का बैचान भी कर दिया। रेस्पों सं. 1 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11-14 के तहत कार्यवाही बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावे।
5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेस्पों सं. 1 ने जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला कलैक्टर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र क्रमांक एफ 12(11)() (राजस्व)/11/18.8.2011 को अधीनस्थ न्यायालय को भेजा। प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अपीलांट दिनांक 13.01.65 से 31.03.05 तक गेज रीडर के पद पर था। इसके बावजूद दिनांक 03.09.1975 को चक 25 आरजेडी में कुल 44 बीघा भूमि आवंटन करवा ली एवं यह तथ्य भी दर्ज किया कि खातेदारी भी अपीलांट को प्राप्त हो चुकी है एवं 12 बीघा का बैचान भी कर दिया। रेस्पों सं. 1 द्वारा अपीलांट के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11-14 के तहत कार्यवाही बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत 44.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि बहक राज्यहित में रिज्यूम की गई। जबकि अपीलांट बालूराम को प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 28.09.1980 को कमी पूर्ति में पुख्ता आवंटित हुई थी। आवंटन हेतु आवेदन करने की तिथि को अपीलांट राजकीय सेवा में नहीं था बल्कि सिंचाई विभाग में गेज रीडर के पद पर अस्थाई रूप से कार्य प्रभारित कार्मिक के रूप में कार्यरत था, जो

एक मजदूर की श्रेणी में आता है। राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन नियम 1975 के नियम) नियम 2 (xiii)(ii)(a) में वर्णित भूमिहीन की परिभाषा के अनुसार स्थाई राजकीय कर्मचारी नहीं होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी में ही माना जावेगा। भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी से राजकीय कर्मचारी को भी वर्ष 1982 में आवंटन नियमों संशोधन के अनुसार वर्जित किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन सन् 1980 का होने के कारण भूमिहीन की श्रेणी में से राजकीय सेवारत कर्मचारी को वर्जित करने के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांत बालूराम आवंटन के समय एक कार्य प्रभारित कर्मचारी था जिसे दिनांक 01.04.1994 को स्थाई राजकीय कर्मचारी के रूप में नियमित किया गया था। प्रश्नगत आवंटन दिनांक 28.09.1980 को किया गया, तब अपीलांत दैनिक वेतनभोगी बेलदार था। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश से अपीलांत को राजकीय कर्मचारी मानते हुए भूमिहीन की श्रेणी से बाहर होने के कारण आवंटन को निरस्त किया गया है जो विधिपूर्ण नहीं होने के कारण उक्त आदेश की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायसंगत नहीं है। इसलिये अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2012 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़